

प्रबंधन के ‘जादू’ से कानून बेअसर, सरकारी संपत्ति गायब

कोतमा, नवभारत 3 जुलाई। अनूपपुर जिले का कोतमा अनुभाग क्षेत्र इन दिनों अवैध कबाड़ माफिया के लिए सेफ हेवन (सुरक्षित ठिकाना) बन चुका है। क्षेत्र में पिछले दो सालों से अवैध कबाड़ की दुकानों के संचालन और इसके अवैध परिवहन पर पुलिस व प्रशासन की कार्रवाई पूरी तरह से शून्य रही है।

आलम यह है कि सरकारी संपत्ति की सरेआम चोरी हो रही है, लेकिन रसूख और ‘तगड़े प्रबंधन’ के आगे कानून ने जैसे घुटने टेक दिए हैं। सूत्रों की माने तो पूर्व पुलिस अधीक्षक मोती-उर-रहमान की अनूपपुर जिले में पदस्थापना के शुरुआती दौर में अवैध कबाड़ के परिवहन पर ताबड़तोड़ थरपकड़ की गई थी।

उस दौरान माफिया में हड़कंप था, लेकिन उनके जाते ही या समय बीतने के साथ यह सख्ती काफूर हो गई।

प्रति सप्ताह खप रहा है 24 से अधिक ट्रक कबाड़

वर्तमान में कोतमा अनुभाग के अंतर्गत दर्जनों अवैध कबाड़ के ठीहें धड़ल्ले से संचालित हो रहे हैं और कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूर्ति या मौन सहमति नजर आ रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि कोतमा अनुभाग के इन अवैध ठिकानों से हर हफ्ते कम से कम दो ट्रक कबाड़ लोड होकर बुढ़ार या जबलपुर की बड़ी मंडियों में भेजा जा रहा है। दर्जनों ठिकानों के हिसाब से देखा जाए तो महीने में करोड़ों रुपये के कबाड़ का अवैध



टर्नओवर हो रहा है।

कौन है ‘जनु’? जिसके ‘प्रबंधन’ के आगे पुलिस बेबस

क्षेत्र में यह चर्चा जोरों पर है कि ‘जनु’ नाम के किसी व्यक्ति ने पूरे

सिस्टम में एक ऐसा ‘अदृश्य और अचूक प्रबंधन’ (नेटवर्क) सेट कर रखा है, जिसके चलते कबाड़ से लदे ट्रकों को पुलिस हाथ तक नहीं लागती। इस कथित सिंडिकेट के कारण कबाड़ की गाड़ियां बिना

किसी खौफ के मुख्य रास्तों से होकर गुजर जाती हैं और जिम्मेदार अधिकारी आंखें मूंदे बैठे रहते हैं।

उच्च स्तरीय जांच की दरकार

कोतमा अनुभाग में फल-फूल रहा यह अवैध कारोबार न सिर्फ शासन को राजस्व का चूना लगा रहा है, बल्कि क्षेत्र में अन्य

आपराधिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दे रहा है। क्षेत्र की जनता अब नए सिरे से इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच और ‘जनु’ नामक कथित प्रबंधक सहित इस रैकेट में शामिल सफेदपोशों व लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है।

सरकारी व सार्वजनिक संपत्तियों को बना रहे निशाना

इस अवैध धंधे का सबसे स्याह पहलू यह है कि कबाड़ दुकानों की आड़ में सरकारी और सार्वजनिक संपत्तियों को निशाना बनाया जा रहा है। नेशनल हाईवे और मुख्य सड़कों के किनारे लगी लोहे की रेलिंग, शासकीय सूचना बोर्ड, बिजली के खंभे और पुल-पुलियों की सुरक्षा रेलिंग लगातार गायब हो रही हैं। एसईसीएल की बंद पड़ी कोयला खदानों से कबाड़ और मशीनरी के लोहे की चोरी की घटनाएं आम हो चुकी हैं। सब कुछ जानते हुए भी मजाल है कि किसी कबाड़ व्यवसायी के खिलाफ चोरी का लोहा खरीदने या अवैध भंडारण का मामला दर्ज किया जाए।



अधिवक्ता पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी अनिल नायक की जमानत खारिज

अनूपपुर, नवभारत 3 जुलाई। अधिवक्ता के घर में घुसकर चाकू से हमला करने और मारपीट करने के गंभीर मामले में आरोपी अनिल नायक को राहत नहीं मिली। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माया विश्वलाल ने मामले की गंभीरता, उपलब्ध साक्ष्यों तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों को ध्यान में रखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी। जिला लोक अभियोजक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी अनिल नायक पिता सतीष नायक उने अपने अन्य साथियों के साथ

मिलकर अधिवक्ता रामपाल परस्ते निवासी लमसरई राजेन्द्रग्राम के घर में जबरन प्रवेश किया। आरोप है कि आरोपियों ने अधिवक्ता के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की तथा चाकू से हमला कर उन्हें गंभीर चोटें पहुंचाई। घटना के बाद पीड़ित अधिवक्ता रामपाल परस्ते की शिकायत पर थाना करनपठार में अपराध दर्ज किया गया। मामले में आरोपी अनिल नायक की ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया।

नियम तोड़ने वाले बस संचालकों पर होगी कार्रवाई

► पुलिस-परिवहन विभाग की बैठक में दिए गए सुरक्षा मानकों के पालन के निर्देश

अनूपपुर, नवभारत 3 जुलाई। जिले में स्कूली बच्चों और आम नागरिकों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन ने परिवहन व्यवस्था पर सख्ती बढ़ा दी है।

पुलिस अधीक्षक विक्रांत मुराब के निर्देश पर थाना यातायात परिसर में पुलिस एवं परिवहन विभाग की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें स्कूल और यात्री बस संचालकों को सुरक्षा नियमों का हर हाल में पालन करने के निर्देश दिए गए। बैठक में जिला परिवहन अधिकारी सुरेन्द्र गौतम और यातायात प्रभारी विनोद दुबे ने स्पष्ट किया कि जिन बसों के ड्राइवर्जेंसी एग्जिट बंद या खराब हैं, उन्हें तत्काल दुरुस्त कराया जाए। सभी वाहनों में फिटनेस प्रमाण-



पत्र, वैध परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण-पत्र, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, स्पीड गवर्नर और

सीसीटीवी जैसी सुरक्षा व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए।

परिचालकों के वैध दस्तावेजों की जांच की जाएगी

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि ओवरलोडिंग, ओवरस्पीडिंग, नशे की हालत में वाहन चलाने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग तथा अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर मोटरयान अधिनियम के तहत कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बस चालकों और परिचालकों के वैध दस्तावेजों तथा पुलिस सत्यापन की नियमित जांच भी सुनिश्चित की जाएगी।

खदान हादसा : जैतहरी के 5 मजदूरों की मौत



जनपद अध्यक्ष ने 25-25 लाख मुआवजा देने व शव घर पहुंचाने की उठाई मांग

अनूपपुर/जैतहरी, नवभारत 3 जुलाई। कर्नाटक के बेंगलुरु के मदापट्टना स्थित एक ग्रेनाइट खदान में हुए भीषण हादसे में अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र के पांच मजदूरों की मौत की सूचना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है।

मृतकों की पहचान सिंधोरा, सेमरवार, चोलना सहित आसपास के गांवों के निवासी धुवनेश्वर सिंह गौड़, राजपाल सिंह, रामअवतार सिंह, राजेश प्रसाद चौधरी सहित एक अन्य मजदूर के रूप में की गई

है। प्रशासन के अनुसार शिनाख्त की प्रक्रिया जारी है और मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

घटना के बाद जनपद पंचायत जैतहरी के अध्यक्ष राजीव सिंह ने अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) जैतहरी को ज्ञापन सौंपकर मध्यप्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्नाटक सरकार से समन्वय स्थापित कर सभी मृतकों के शवों को सम्मानपूर्वक उनके गृह ग्राम तक पहुंचाने की व्यवस्था कराई जाए तथा प्रत्येक मृतक के परिजनों

को 25-25 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए।

अंतिम संस्कार की व्यवस्था कराने की मांग

मध्यप्रदेश शासन द्वारा अंतिम

प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए

जनपद अध्यक्ष राजीव सिंह ने युवा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवासन से दूरभाष पर चर्चा कर पीड़ित परिवारों की हर्षसंभव सहायता का आग्रह किया। इस पर श्रीनिवासन ने मामले में हर्षसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। क्षेत्रवासियों ने भी राज्य एवं केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रवासी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ इस हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए तथा पीड़ित परिवारों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराई जाए।

अभा संयुक्त अधिवक्ता मंच की कार्यकारिणी घोषित

जबलपुर, नवभारत। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच ने जबलपुर जिले के लिए अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। यह नियुक्ति प्रक्रिया मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता चन्द्र कुमार बलेजा की सहमति, राष्ट्रीय महासचिव अधिवक्ता राजेश पंजवानी के अनुमोदन और राष्ट्रीय महामंत्री अधिवक्ता जय सचदेवा की अनुशंसा पर पूरी की गई है। जबलपुर जिला अध्यक्ष अधिवक्ता संदीप शुक्ला ने इन सभी नामों को अंतिम रूप दिया है। कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के रूप में अनुशंकर सोनकर, जितेन्द्र चिमनानी, सविता खत्री, कुक्कू दत्त, सोनू श्रीवास्तव, पुष्पल पांडे, अर्जुन मिश्रा और शुभांकर साहा को जिम्मेदारी सौंपी गई है। देवांशीष यादव, अजय शुक्ला, मनमोहन चतुर्वेदी तथा रजनीश उपाध्याय को महामंत्री नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिवक्ताओं को विभिन्न पदों पर तैनात कर संगठन को मजबूती दी गई है। मनोज रघुवंशी, आशुतोष पांडे, मयंक जरगर, आनंद शुक्ला, पवन यादव, दीपक शर्मा और रोहित चढ्ढा को मंत्री बनाया गया है। पी. बालकृष्ण कोषाध्यक्ष तथा प्रियांश सिंह ठाकुर सह कोषाध्यक्ष बने हैं।

कोतमा के खोड़री में जर्जर हुई पानी की टंकी, बूंद-बूंद पानी को तरस रहे ग्रामीण

करोड़ों की नल-जल योजना कागजों पर

कोतमा नवभारत 3 जुलाई। शासन की महत्वाकांक्षी ‘नल-जल योजना’ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिम्मेदारों की घोर लापरवाही के कारण दम तोड़ती नजर आ रही है।

जनपद अनूपपुर के थाना कोतमा अंतर्गत ग्राम खोड़री नंबर 1 में ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई पानी की टंकी उद्घाटन से पहले ही अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। आलम यह है कि करोड़ों की लागत से खड़ी यह संरचना आज पूरी तरह से जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, लेकिन ग्रामीणों की प्यास बुझाने में नाकाम साबित हो रही है।

इंजीनियर के दौरे के एक महीने बाद भी ‘ढाक के तीन पात’

ग्रामीणों के लगातार विरोध और शिकायतों के बाद करीब एक महीने पहले पीएचई विभाग के तत्कालीन इंजीनियर ने अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना किया था। उस दौरान ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों को आश्वासन दिया गया था कि जल्द ही तकनीकी खामियों को दूर कर टंकी को सुचारू रूप से चालू किया जाएगा, लेकिन इस बात को पूरा



एक महीना बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है।

अब तक टंकी में नहीं भरा जा सका पानी

ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी इस टंकी में आज तक कभी भी पूरा पानी ऊपर तक नहीं भरा जा सका है। टंकी का

क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार है?

ग्राम खोड़री नंबर 1 के निवासियों का कहना है कि एक तरफ गर्मी और उमस के इस मौसम में पानी के लिए हाहाकार मचा है, लोग दूर-दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकारी हाईस को दुरुपयोग कर खड़ी की गई यह जर्जर टंकी किसी बड़े हादसे को आमंत्रण दे रही है। यदि यह कमजोर ढांचा अचानक गिरता है, तो आसपास रहने वाले लोगों के जान-माल का बड़ा नुकसान हो सकता है।

वेदांत कक्षाओं में तत्वबोध का अध्ययन जारी

नवभारत, जबलपुर। चिन्मय विद्या पीठ एवं श्रीराम मंदिर मदन महल द्वारा आयोजित वेदांत कक्षाओं में आदि शंकराचार्य रचित ग्रंथ ‘तत्त्वबोध’ का अध्ययन कराया जा रहा है। इसमें बताया गया कि वेदांत विद्या के लिए साधक को विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति और मुरुक्षत्व को बढ़ाना चाहिए। इस दौरान आचार्य हितेश चैतन्य ने समझाया कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए खुद पर काम करना जरूरी है। साधक को दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करने के बजाय स्वभाव में लचीलापन लाना चाहिए, क्योंकि स्वीकारोक्ति का भाव बढ़ने से व्यवहार बेहतर होता है। संयोजकों ने बताया कि ‘तत्त्वबोध’ के बाद गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस के ‘बालकाण्ड’ की कक्षाएं शुरू होंगी।